राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक- 202408243100086 अ–62 वर्ष 2023–24

1	2	3
26-05-2025	प्रकरण तहसीलदार गुरूर से प्राप्त। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नंबर 05 रा0नि0मं0 सनौद तहसील गुरूर द्वारा ग्राम सांगली पवहनं० 05 तहसील गुरूर स्थित संजय कुमार आ० छगन लाल जाति तेली द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख0नं0 135 / 2 रकबा 1.82 हे0 के मेंड़ में लगे 3 नग अर्जुन वृक्ष बिना अनुमति के अवैध कटाई किया गया तथा सभी अर्जुन वृक्ष पंचनामा, जप्तीनामा, सुपुर्दनामा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ किया गया है । 3/– प्रकरण दर्ज कर अनावेदक संजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर आहुत किया गया । अनावेदक संजय कुमार कारण बताओ नोटिस का जवाब एवं शपथपत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । अनावेदक अपने जवाब में अनावेदक के उपरोक्त वृक्ष से मुझे बार बार विद्युत लाईन का पोल लगाना पड़ता था, इस कारण से अनावेदक विद्युत विभाग के द्वारा उपरोक्त वृक्ष को कटवाना पड़ा अनावेदक अपने उपरोक्त अर्जुन वृक्ष के दोनों साईड विद्युत लाईन गया हुआ है, जिस पर बारिश के मौसम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, इस कारण से मुझे अनावेदक उपरोक्त अर्जुन के वृक्ष को कटवाना पड़ा। जिसे अनावेदक उक्त पेंड़ को काटना स्वीकार किया गया । 4/– अनावेदक अपने शपथपत्रीय साक्ष्य कथन में लेख किया गया है । ग्राम सांगली प0ह0नं0 05 तहसील गुरूर स्थित भूमि ख०नं० 135/2 रकबा 1.82 हे0 भूमि राजसव अभिलेख में दर्ज है, जिसके मेंड़ पर 03 नग अर्जुन वृक्ष था, जिसके ऊपर से विद्युत लाईन गुजरा है। उपरोक्त भूमि पर वृक्ष के ऊपर से बार –बार विद्युत लाईन का पोल लगवाना पड़ता था, इस कारण शपथकर्ता को विद्युत विभाग के द्वारा उपरोक्त वृक्ष को कटवाया, उपरोक्त शपथकर्ता के निजी भूमि पर जो लगा हुआ है, वह निजी भूमि पर है। जिसे मैंने विद्युत विभाग से एवं बारिश में वृक्ष विद्युत तार से सट जाता था, उपरोक्त विद्युत लाईन गया है, वह बार–बार टूट जाता था। इस कारण अनावेदक उक्त 03 अर्जुन वृक्ष कटवाया जाना स्वीकार किया गया है । अतएव प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अनावेदक जवाब एवं शपथपत्रीय साक्ष्य कथन का अवलोकन किया गया। पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सांगली प0ह0नं0 05 तहसील गुरूर स्थित अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ख0नं0 135/2 रकबा 1.82 हे0 भूमि	

26/5/25

Scanned with OKEN Scanner

पर स्थित 03 नग बबूल वृक्ष को अनावेदक संजय कुमार आ० छगन लाल जाति तेली साकिन सांगली द्वारा बिना अनुमति के कटाई किया गया है। जिसे अनावेदक संजय कुमार आ० छगन लाल द्वारा अपने जवाब एवं शपथपत्रीय साक्ष्य कथन में स्वीकार किया गया है।

अतः प्रकरण में तहसीलदार गुरूर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अनावेदक संजय कुमार आ० छगन लाल जाति तेली साकिन सांगली तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग० के द्वारा ग्राम सांगली प०ह०नं० 05 तहसील गुरूर स्थित अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ख०नं० 135/2 रकबा 1.82 हे० भूमि पर स्थित 03 नग बबूल वृक्ष को बिना अनुमति के काटा गया है। अनावेदक ने अपने कथन में स्वीकार किया गया है। बिना अनुमति के अनावेदक द्वारा हरे–भरे वृक्ष अवैध रूप से काटे जाने कारण भू.रा.संहिता 1959 के बने धारा 240 के तहत कुल रू. 1550.00 (अक्षरी– एक हजार पांच सौ पचास रूपये) से दण्डित किया जाता है। अनावेदक आरोपित अर्थदण्ड की राशि खजाना दाखिल कर चालान की प्रति इस न्यायालय को पेश करे। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. हो।

आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) गुरूर जिला बालोद

पृ. क्र./ /अ.वि.अ.(रा.)/2025 गुरूर, दिनांक 26/05/2023

प्रतिलिपि :–

01. तहसीलदार गुरूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. अनावेदक श्री संजय कुमार पिता छगन लाल तेली साकिन सांगली को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा0)गुरूर जिला बालोद

Scanned with OKEN Scanner